

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रक पूर्णिमा / सम्बद्धता / 01-(ए) / 2018 / ४०९
दिनांक :

२३.५.८

सेवा में,

प्रदर्शक,
को०एन० शिंह मठिला मठाविद्यालय
नगरपाली, जौनपुर, आजमगढ़।

विषय : महाविद्यालय को समर्तक स्तर पर बी०ए० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 1103 (1) / सत्तर-८-२०१४-२(७) / 2014, दिनांक- 01 अगस्त, 2014, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश सभ्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य राजकारणी द्वारा सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपर्युक्त को समाप्त कर दिया है, के क्रम में बी०ए० सिंह मठिला मठाविद्यालय नगरपाली, जौनपुर, आजमगढ़ को समर्तक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम (द्विवर्षीय) में 100 सीटों (02 वृनिट) की प्रवेश क्षमता सहित स्वविलापोर्तियोंजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक- 01.07.2017 से सम्बद्धता की अनुमति प्रदान की जाएगी है-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-२-२००३-१६(९२) / 2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या-5267 / ७०-२-२००५-२(१६) / 2002 दी री, दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या- 5125 / ७०-२-२००५-२ (१६) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी०ए० पाठ्यक्रम में शासन / एन०सी०टी०१०५० जयपुर द्वारा अनुमन्य समर्त सीटों को सुलगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किरी शैक्षणिक सत्र में होने वाली संस्कृत प्रवेश परीक्षा में समिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अध्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित नामकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पद्धन-पाठ्न कराया जायेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समर्त नामकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समर्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यापक संस्था में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नामकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश सभ्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
6. महाविद्यालय की नुसी आदि में किरी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. शासन के पत्र संख्या-12 / 2015 / 450 / सत्तर-2015-16 (३३) / 2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबलताओं आदि से सम्बन्धित समर्त सूचना अपलोड करेंगे।
8. उक्त सम्बद्धता प्रामुख धनराशि, एन०सी०टी०१०५० एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेंगे।
9. A.I.S.H.E के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समर्त अधिकारी वर्षों के अन्तर्गत।
10. सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क का मुग्धतान अधिकारी वर्षों के अन्तर्गत।
11. N.C.T.E के मूल पत्र के संत्वापन के अन्तर्गत।
12. महाविद्यालय समय-समय पर शासन / एन०सी०टी०१०५० एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का पालन करेंगा।
13. महाविद्यालय उपरोक्त समर्त निर्देशों का पालन करेंगा अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०५० इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीयन निधि, एल०आई०सी० बिलिंग, अम्बेडकर सर्किन भवानी शिंह मार्ग, जयपुर- 302005 (राजस्थान)
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. उपकुलसाधिव (शैक्षणिक) कार्यपरिषद की आगामी बैठक में संशानार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
7. टेक्निकल सेल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रपर्तित करें हेतु।

कुलसचिव

महोदय
कुलसचिव